

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 26.10.21


::आज्ञा::

विधि रचना सेवा संवर्ग एवं विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	मोनिका शर्मा वरिष्ठ विधि रचनाकार	विधि (विधि रचना) विभाग प्रकोष्ठ-3, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
2.	मंजू लेकरा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर परिषद्, सीकर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
3.	सीता कुमारी कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
4.	अंकित भट्ट कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
5.	सदीप सौंडवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
6.	सुनील कुमार नरवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
7.	आदित्य जोशी कनिष्ठ विधि अधिकारी	राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर	1. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु। 2. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।


शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।


(पुरुषोत्तम लाल सेनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव